नीलामी की शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2012–2013 के लिये चाय, हलवाई, चाट, चाटफल, व जूस आदि की दुकानों के स्थान की नीलामी दिनांक 13.04.2012 को दोपहर 2.00 बजे जिला एंवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम तथा शर्ते इस प्रकार है।

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योंरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 201 -2011 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा। यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी गयी है उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उसी दिन अथवा बढाये गये समय के दिन तक धनराशि जमा नही की जाती तो उसकी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा समिति के द्वारा द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दुकान नीलामी हेतु उसके द्वारा बोली गयी धनराशि जमा करने का अवसर दिया जायेगा और यदि उसके द्वारा निर्धारित अवधि तक बोली गयी धनराशि जमा नहीं की गयी तो उसकी धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
4. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तो के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
5. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण, अतिक्रमण करने का अधिकार नही होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
6. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. पान के ठेकेदार तम्बाकू सिग्रेट, बीडी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हे एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
9. ठेकेदार जो खादय सामग्री बिकी करेगें वह खादय अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होनी होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खादय सामग्री का विक्रय नही करेगा।
10. खादय वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैद्य कनेक्शन द्वारा एल.पी.जी. गैस का प्रयोग करेगें और किसी तरह का प्रदुषण नही करेगें तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगें।
11. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
12. ठेका शर्तो के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जंमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।
13. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेगें तथा खुले व कटे खादय पदार्थो की बिकी नहीं करेगें।
14. आपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवम् उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा एंव माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

आज्ञा से

नीलामी समिति